रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-382/22-2-2014-17(213)/2011

लखनऊ: दिनांक: 06 नवम्बर, 2015

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ के सिद्वदोष **बन्दी गुप्तार सिंह पुत्र श्री शिव बालक सिंह निवासी ग्राम-कन्जौरा, थाना-माखी, जिला-उन्नाव** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या- 442/84** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302,323,307/149** के अधीन **दिनांक 05-08-1985** को मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश उन्नाव द्वारा मृत्युदण्ड दिया गया था, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ लखनऊ के आदेश **दिनांक 04-04-1986** द्वारा मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया था, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी, **उन्नाव** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

2- यह आदेश क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी0 श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय,नई दिल्ली के आदेश दिनांक 23-07-2015 के प्रस्तर-7 के अन्तर्गत अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

पलबिन्दर सिंह
उप सचिव।

संख्या-382(1)/22-2-2014 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2-जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
3-पुलिस अधीक्षक, उन्नाव।
4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in